

12/11/18 को पत्रावली के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया गया है कि पत्रावली के माध्यम से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को पत्रावली के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त अधिकांश
पत्रावली (अनुसूची) संख्या

13/11/18 को पत्रावली के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया गया है कि पत्रावली के माध्यम से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को पत्रावली के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त अधिकांश
पत्रावली (अनुसूची) संख्या

15/11/18 को पत्रावली पेश हुई। न्यायालय...
पत्रावली के माध्यम से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को पत्रावली के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

20/11/18 को पत्रावली पेश हुई। अधिकांश संघ ने कार्रवाई के लिए पत्रावली पेश की है। पत्रावली के माध्यम से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को पत्रावली के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त अधिकांश
पत्रावली (अनुसूची) संख्या

26/11/18 को पत्रावली पेश हुई। न्यायालय...
पत्रावली के माध्यम से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को पत्रावली के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

न्याय आपत्ति द्वार-2018
पत्रावली आज राजस्थान लोक अदालत/कीम कोर्ट चाम
पत्रावली के माध्यम से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को पत्रावली के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त अधिकांश
पत्रावली (अनुसूची) संख्या

५-३-२५ आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सप नीमराना द्वारा कार्य
स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व
भादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक ३१-५-२५
को पेश हो।
५

२५-५-२५ आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील को
वकील नियुक्त है। शी. प्र. को समय
चाहते हैं। पत्रावली वास्ते शी. प्र. को तलाक/अलाक/बहस/अ.
दिनांक २६-६-२५ को पेश हो।
उप विद्या/का. नं.
नीमराना (अ. प्र.)

२६६
२५

मौज पत्रावली पेश करी गयी त वकील
अनुपस्थित। पत्रावली में बार द्वारा ज्ञापन दिला
गया लेकिन कोर्ट में उपस्थित वकील नहीं
कोर्ट द्वारा ही सादर इंग. शरीर वृत्ति
बोला है कि वकील अपना तप-चलाक ही नहीं
चाहता है। अतः वकील का वाक अलाक पेश की त
अहम हलगी में स्थगित किया जाता है। पत्रावली
केवल अग्रिम हेतु जमाना से कम हो। बार
वकील दायित्व करता है।

उपस्थित अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-करोड़)

संख्या १०९/१९
दिनांक ०७/०५/२०१८

आराजी ख.नं. ८४५ रकबा ०.८१ हे.क. वाके ग्राम बसईभोपालसिंह तह० नीमराना में स्थित है। जो प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से संबंधित की गयी।

आराजी ख.नं. ८४५ रकबा ०.८१ हे.क. वाके ग्राम बसईभोपालसिंह तह० नीमराना में स्थित है। जो प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से संबंधित की गयी।

प्रार्थना पत्र संख्या ११६/२०१७

दिनांक ०७/०५/२०१८

दिनांक ०७/०५/२०१८

अग्रसार

आराजी ख.नं. ८४५ रकबा ०.८१ हे.क. वाके ग्राम बसईभोपालसिंह तह० नीमराना में स्थित है। जो प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से संबंधित की गयी।

आराजी ख.नं. ८४५ रकबा ०.८१ हे.क. वाके ग्राम बसईभोपालसिंह तह० नीमराना में स्थित है। जो प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से संबंधित की गयी।

आराजी ख.नं. ८४५ रकबा ०.८१ हे.क. वाके ग्राम बसईभोपालसिंह तह० नीमराना में स्थित है। जो प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से संबंधित की गयी।

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

दादा तकलीब आराजी व हुस्न इमरानई दयाली - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घास २१२ आयडीएकए

श्री सुभाषीशर्मा शौन्य अधिवक्ता वादी/प्रार्थी की ओर से
श्री विजयप्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय:-


दिनांक :- ०७.०५.२०१८

वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि:-

आराजी ख.नं. ८४५ रकबा ०.८१ हे.क. वाके ग्राम बसईभोपालसिंह तह० नीमराना में स्थित है। जो प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से संबंधित की गयी।

वादी/प्रार्थी ने अनुतोष माहा है कि:-

आराजी ख.नं. ८४५ रकबा ०.८१ हे.क. वाके ग्राम बसईभोपालसिंह तह० नीमराना में स्थित है। जो प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से संबंधित की गयी।



उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

कास्त में सजावट देना नहीं करे, लकड़ें तोड़ना नहीं करे, कच्चा लकड़ा तोड़ना नहीं करे, आसानी को अपनी बत्ताकर फूटनीय नहीं करे। बांध अग्ने।

- (3) दाद पत्र/प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रार को अप्रार्थितता की ताली करवाई गई। समस्त तालीय हुई। अप्रार्थी द्वारा प्रापत्र को संकेत में जकात प्रभु पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रापत्र को खारिज करने का निवेदन किया है।
- (4) दादी/प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में क्या नकल जमाकरी संकेत 2018-76 पेश किये गये जो शामिल परावर्ती है।
- (5) बहस दफ्तर सुनी गयी। दोराने बहस करीब प्रार्थी ने प्रभु पत्र के पक्षों की देखभाल हुए अप्रार्थितता को पारंद किये जाने का निवेदन किया है। दोराने बहस करीब अप्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी अप्रार्थी से रजिस्ट्रार रखता है न्यायालय को सुभारह कर रहा है। अतः प्रार्थी के प्रापत्र को खारिज किया जावे।
- (6) परावर्ती पर उपलब्ध प्रत्येकीय दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं बहस पर भ्रमन किया गया। न्यायालय का समस्त समाधान है कि दर्शन में हम प्रार्थना पत्र आस 212 का निर्णय कर रहे हैं। अन्य सभी बिन्दुओं पर दाद के निर्णय के समय दिस्तार से निवेदन करेंगे। प्रार्थना पत्र 212 में प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संयुक्त एवं अपूर्णीय रजि के बिन्दु पर दिवार किया जाता है। इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में आसानी खर्च, हाल 245 रुकबा 0.21 हेक्टर दाद के ग्राम बसईमोपालसिंह तह0 नीमराना में स्थित है। चूंकि विवादित आसानी समुक्त करने कास्त की आसानी है जिसमें सभी परकारान का हक व हिस्सा निश्चित है। जिसकी दाद के निर्णय में दिवेकना की जायेगी। अतः हम परकारान द्वारा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखना उचित समझते हैं।

-आदेश-

अतः आदेश है कि परकारान साईसला दाद विवादित आसानी आसानी खर्च, हाल 245 रुकबा 0.21 हेक्टर, बसई ग्राम बसईमोपालसिंह तह0 नीमराना के सजसव अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। काज दिनांक 07.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र नजस में लिखाया जाकर दाद हस्ताक्षर सुनाया गया।


(सुरेश कुमार धनकर)
उपसुपड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना
उप सुपड अधिकारी
नीमराना (अलवर)